<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>13.02.2026</u>

<u>अवैध कोयला खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ₹100.44 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ कुर्क</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) के प्रावधानों के अंतर्गत ₹100.44 करोड़ की अपराध की आय को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई सी एल) के पट्टाधारित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन एवं चोरी से संबंधित एक चल रही जांच के मामलें में की गई है। उक्त अवैध खनन गतिविधियाँ अनूप माझी उर्फ़ लाला के नेतृत्व में संचालित एक सिंडिकेट द्वारा की गई थीं।

जांच से यह उजागर हुआ है कि उक्त सिंडिकेट द्वारा कोयले की अवैध खुदाई तथा बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी की जा रही थी। अवैध रूप से खुदाई किए गए कोयले का पश्चिम बंगाल स्थित विभिन्न कारखानों को स्थानीय प्रशासन की सक्रिय सहायता से वितरण किया गया। जांच से यह भी उजागर हुआ है कि अनूप माझी उर्फ़ लाला द्वारा एक अवैध परिवहन चालान/पैड प्रचलन में लाया गया, जिसे सामान्यतः "लाला पैड" के नाम से जाना जाता है। यह अवैध परिवहन चालान गैर-अस्तित्व में रहने वाली फर्मों के नाम पर जारी कर चालान (टैक्स इनवॉयस) के रूप में कार्य करता था।

जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी परिवहन चालान के साथ ₹10 या ₹20 का एक मुद्रा नोट परिवहनकर्ता को दिया जाता था। परिवहनकर्ता द्वारा उक्त मुद्रा नोट को हाथ में पकड़े हुए, अवैध कोयला ले जा रहे ट्रक/डंपर/टिपर की नंबर प्लेट के साथ उसकी तस्वीर ली जाती थी और यह छवि कोयला सिंडिकेट के संचालक को भेजी जाती थी। इसके पश्चात, सिंडिकेट संचालक द्वारा उक्त छवि को व्हाट्सऐप के माध्यम से मार्ग में संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं अन्य सरकारी प्राधिकारियों के साथ साझा किया जाता था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन को रोका न जाए, अथवा यदि रोका जाए तो उसे तत्काल मुक्त कर दिया जाए।

सिंडिकेट द्वारा संधारित अभिलेखों से यह संकेत मिलता है कि लगभग ₹2,742 करोड़ की अपराध की आय उत्पन्न की गई। पी एम एल ए के अंतर्गत की गई जांच के दौरान विश्लेषित साक्ष्यों, जिसमें ज़ब्त रजिस्टर, डिजिटल अभिलेख, टैली डेटा तथा व्हाट्सऐप संचार शामिल हैं, से नकद लेन-देन की सुनियोजित व्यवस्था तथा अपराध की आय के स्थानांतरण एवं स्तरीकरण (लेयरिंग) हेतु हवाला माध्यमों के उपयोग का खुलासा हुआ है।

जांच से यह भी उजागर हुआ है कि उक्त सिंडिकेट द्वारा औपचारिक बैंकिंग माध्यमों एवं नियामकीय निगरानी को दरकिनार करते हुए, नकद रूप में अपराध की आय के स्थानांतरण हेतु एक भूमिगत हवाला नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। एक सामान्य लेनदेन में, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक के साथ एक विशिष्ट कोड साझा किया जाता था, जो प्रायः ₹10 या अन्य मूल्यवर्ग के मुद्रा नोट का क्रमांक होता था। यह क्रमांक उक्त लेनदेन की प्रमाणीकरण कुंजी के रूप में कार्य करता था।

प्रेषक द्वारा उक्त कोड को हवाला ऑपरेटर तक पहुँचाया जाता था, जो आगे इसे प्राप्तकर्ता के स्थान पर मौजूद अपने सहयोगी को संप्रेषित करता था। निर्धारित नकद राशि की आपूर्ति के समय, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्व में साझा किए गए क्रमांक वाला वही मुद्रा नोट पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। क्रमांक के सत्यापन के उपरांत नकद राशि सौंप दी जाती थी, जिससे किसी भी औपचारिक दस्तावेज़ अथवा बैंकिंग अभिलेख के बिना लेनदेन पूर्ण हो जाता था। यह व्यवस्था विनियमित वित्तीय प्रणाली से बाहर कार्यरत मध्यस्थों के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न स्थानों के बीच बड़ी मात्रा में धनराशि के संचलन को सक्षम बनाती थी।

जांच से यह भी स्थापित हुआ है कि इस्पात एवं लौह क्षेत्र की कुछ लाभार्थी कंपनियों द्वारा अवैध रूप से खुदाई किए गए कोयले की नकद में खरीद की गई, जिससे उन्होंने जानबूझकर अपराध की आय की सहायता की, उसका उपयोग किया तथा उसे निष्कलंक रूप में प्रदर्शित किया।

कुर्क की गई परिसंपत्तियों में अचल संपत्ति, सावधि जमा तथा म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं, जो लाभार्थी कंपनियों, अर्थात् शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड एवं गगन फेरोटेक लिमिटेड, के नाम पर हैं। इस नवीनतम कुर्की के साथ, इस मामले में अब तक कुर्क की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य ₹322.71 करोड़ हो गया है।

यह अपराध अपराध की आय को छिपाने एवं उसका रूप बदलने के उद्देश्य से तैयार की गई बहु-स्तरीय एवं जटिल वित्तीय लेन-देन संरचनाओं से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रत्येक स्तर को क्रमबद्ध रूप से उजागर किया जा रहा है, ताकि अंतिम लाभार्थियों का पता लगाया जा सके, अपराध की अतिरिक्त आय की पहचान की जा सके तथा अवैध रूप से अर्जित धन के शोधन में संलिप्त अन्य व्यक्तियों का पता लगाया जा सके, जिससे इस परिष्कृत आर्थिक अपराध के सम्पूर्ण परिदृश्य को उजागर किया जा सके।

पूर्व में, दिनांक 08.01.2026 को, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले के संबंध में कोलकाता एवं दिल्ली में स्थित 10 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की गई थी। इन तलाशी कार्रवाइयों के दौरान एकत्रित साक्ष्य विस्तृत विश्लेषणाधीन हैं तथा अपराध की आय को वर्तमान में कुर्क की जा रही परिसंपत्तियों से जोड़ने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय अवैध खनन एवं धन शोधन गतिविधियों में संलिप्त आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस प्रकार के अपराध सामान्य जन को व्यापक रूप से क्षति पहुँचाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति होते हैं, जिन्हें देश की जनता के लिए न्यास के रूप में धारण किया जाता है।

<u>लाला पैड</u>

<u>परिवहन हेतु प्रयुक्त पैड पेपर की छवि</u>

